पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–14/2017 185

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांकः 15-12-17

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष **2017–18** में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2017–18** में बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	कुल आवंटन (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य	800–अन्य व्यय/ 75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759	**170.85**

आवंटित राशि – ₹ एक करोड सत्तर लाख पचासी हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2017–18** के बजट उपबंध राशि **रू० 750.00 लाख (सात करोड़ पचास लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1363 दि० 09.05.2016 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(कमल किशोर सोन)
सचिव

ज्ञापांक :– 185 रॉची, दिनांक :– 15-12-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/बुण्डु/चाईबासा/चक्रधरपुर/गढ़वा/मेदिनीनगर/तेनुघाट/बोकारो/बरही/हजारीबाग/देवघर/सिकटिया/दुमका** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त

(कमल किशोर सोन)
सचिव

ज्ञापांक :– 185 राँची, दिनांक :– 15-12-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(श्वेता कुमारी) सहायक अभियंता	(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(कमल किशोर सोन) **सचिव**

विभागीय पत्रांक 185 दिनांक 15-12-17 का अनुलग्नक

परिशिष्ट –1

माँग संख्या–49–जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय,
उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759

वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट उपबंध राशि रू० 750.00 लाख (सात करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, बुंडू (RNCIRR011)	राँची	जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेशन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकण कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य, रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु।	13/17–18 प्र०स्वी० दिनांक–30.05.2017	1350.00	0.00	0.00	32.00	32.00	79236	DPR of Kanchi CADWM
2	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)	राँची				0.00	0.00	20.00	20.00	79244	DPR of ERM of Roro Reservoir Scheme
		राँची				0.00	0.00	15.00	15.00		DPR of Dugni Barrage Scheme
3	जलपथ प्रमंडल सं.–1, चकधरपुर (SGHIRR016)	राँची				0.00	0.00	11.52	11.52	79247	DPR of ERM of Jenasai Irrigation Scheme
		राँची				0.00	0.00	7.56	7.56		DPR of ERM of Sonua Irrigation Scheme
		राँची				0.00	0.00	7.74	7.74		DPR of ERM of Vijay Reservoir Scheme
4	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)	मेदिनीनगर				0.00	0.00	4.37	4.37	79251	DPR of ERM of Anraj Reservoir Scheme
		मेदिनीनगर				0.00	0.00	15.48	15.48		DPR of ERM of Danro Irrigation Scheme
5	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003)	मेदिनीनगर				0.00	0.00	7.96	7.96	79253	DPR of ERM of Ranital Irrigation Scheme
6	तेनुघाट बॉध प्रमंडल तेनुघाट (BKRIRR002)	हजारीबाग				0.00	0.00	6.38	6.38	79255	DPR of ERM of Gobai Reservoir Scheme
		हजारीबाग				0.00	0.00	6.00	6.00		DPR of ERM of Khudiya Reservoir Scheme
7	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर				0.00	0.00	14.00	14.00	79257	DPR of Mayurakshi CADWM
8	जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIRR017)	हजारीबाग				0.00	0.00	1.84	1.84	79259	DPR of ERM of Buxa Reservoir Scheme
9	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया (DGRCRAG03)	देवघर				0.00	0.00	21.00	21.00	79260	DPR of Burhai Reservoir Revised as per CWC guidelines
						योग	**0.00**	**170.85**	**170.85**		

आवंटित राशि – ₹ एक करोड सत्तर लाख पचासी हजार मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(कमल किशोर सोन)
सचिव